

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 61/2018

दायर दिनांक 07.03.2018

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. सुशीला पत्नी स्व० हेतुराम 2. गणेशाराम पुत्र स्व० हेतुराम समस्त जाति बंजारा निवासीगण तोषिणा तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. देदाराम पुत्र स्व० रामचन्द्र 2. मिश्रीलाल पुत्र स्व० रामचन्द्र 3. डूंगाराम पुत्र स्व० हेतुराम 4. मेवाराम पुत्र स्व० हेतुराम समस्त जाति गिंवारिया (बंजारा) निवासीगण तोषिणा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज० 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत

बंटवारा, घोषणा खातेदारी, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
 अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी०पी०सी०


उपस्थित:-

1. श्री इस्लामुदनी वकील, प्रतिवादी सं० 01

-:: निर्णय ::-

दिनांक 09.12.2019

मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 01 देदाराम द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी०पी०सी० का पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाद के कालम संख्या 01 में वादीगण ने वर्णित किया है कि हेतुराम प्रतिवादी सं० 01, 02 के पिता स्व० रामचन्द्र की खरीद सुदा कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा संख्या 834 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा मौजा तोषिणा अवस्थित हो सरसर गलत है। उक्त खसरा नम्बर 833 कतही स्व० रामचन्द्र की खरीदी हुई नहीं थी बल्कि उक्त खसरा नम्बर 833 प्रतिवादी सं० 01 की निजी रजिस्टर्ड खरीद सुदा एकल खातेदारी सुदा है। जिसकी रजिस्ट्री खरीद व खतौनी की नकल संलग्न है। इसलिए उक्त वादग्रस्त खसरा नं० 833 मौजा तोषिणा पैत्रक भूमि नहीं होने से वादी को कतही वाद पत्र लाने का अधिकार नहीं है ना ही वादी को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है तथा ना ही


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना (नागौर)

न्यायालय हाजा को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। इसलिए वाद पत्र पोषनीय नहीं होने तथा वादीगण को हैतुक उत्पन्न नहीं होने से प्रथम दृष्टया वाद पत्र खारिज योग्य है।

वाद पत्र कलम संख्या 03 में इकरारनामा दिनांक 24.07.2002 का उल्लेख कर उक्त वाद पत्र इकरारनामा पर आधारित पेश किया है जो कि इकरारनामा पर आधारित वाद पत्र सुनने का न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार कतही प्राप्त नहीं है। इसलिए वाद पत्र बिना क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार कतही प्राप्त नहीं है। इसलिए वाद पत्र बिना क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार पेश किये जाने से प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है।

अतः दर0 पेश कर निवेदन है कि उक्त वाद पत्र को खारिज फरमावें।

वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु कई अवसर लिये परन्तु वकील वादी ने जवाब पेश नहीं किया। अतः वकील वादी का जवाब बन्द कर पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई। दिनांक 06.12.2019 को बहस हेतु वकील वादी को बार-बार आवजे लगाई गई। परन्तु वकील वादी हाजिर नहीं हुए तत्पश्चात वकील प्रतिवादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 833 प्रतिवादी सं0 01 देदाराम की निजी रजिस्टर्ड खरीद सुदा एकल खातेदारी सुदा है। जिसकी रजिस्ट्री खरीद व खतौनी की नकलें पेश की। इसलिए उक्त वादग्रस्त खसरा नं0 833 मौजा तोषीणा पैत्रक भूमि नहीं होने से वादी को कतही वाद पत्र लाने का अधिकार नहीं है ना ही वादी को वाद हैतुक उत्पन्न हुआ है तथा ना ही न्यायालय हाजा को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादीगण द्वारा उक्त वाद इकरारनामा दिनांक 24.07.2002 के आधार पर पेश किया है। इसलिए वाद पत्र पोषनीय नहीं होने तथा वादीगण को हैतुक उत्पन्न नहीं होने से प्रथम दृष्टया वाद पत्र को खारिज किया जावें।

बहस के तर्कों पर मनन किया रेकर्ड का अवलोकन किया। वकील प्रतिवादी सं0 01 ने रजिस्ट्री व इकरारनामा की प्रतियां पेश की। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वाके सरहद तोषीणा के खसरा सं0 833 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा प्रतिवादी सं0 01 देदाराम की खरीद सुदा जायगा है तथा उक्त जायगा पैत्रक नहीं है। वादीगण ने उक्त वाद इकरारनामा के आधार पर पेश किया है। जिसको सुनने का श्रवणाधिकार एवं श्रेत्राधिकार इस न्यायालय को

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नामों)

नहीं है। वादीगण ने उक्त पंजीकृत बैचाणनामा को कहीं पर भी चुनौती नहीं दी है। पंजीकृत दस्तावेज एक वैद्य दस्तावेज है। इकरारनामा के आधार पर वादीगण को सक्षम न्यायालय में वाद पेश करना चाहिए था। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तथ्य सही होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।


आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।


(अंशुल सिंह)
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को सरे ईजलास में सुनाया

गया।


(अंशुल सिंह)
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

